मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 21, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) वित्त लेखे वर्ष 2011-2012 खण्ड I एवं खण्ड II,

(ख) विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012,

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संख्या-I

(घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष क्रमांक-3 (राजस्व प्राप्तियां)

(ङ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये क्रमांक-4 वाणिज्यिक, तथा

(च) भारत के नियंत्रक- महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-2 सिविल

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2007-2008, वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2008 के लिए, तथा

(ख) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री –

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि हेतु ,

(ii) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,

(iii) दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2011-2012,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, भोपाल के साउथ टी.टी. नगर स्थित शासकीय भूमि को नियमों के विपरीत निजी कंपनी को आवंटित करने की ओर आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद एवं इटारसी के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कालोनियों का निर्माण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का भुगतान न किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य, ग्वालियर के रायरू स्थित डी.पी.एस. स्कूल में अध्ययनरत छात्रा को बगैर कारण निष्कासित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के –

(क) गाडरवारा के आजाद वार्ड में नाली एवं सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम देवरी से झामर के बीच पुलिया निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम सेसाडाबर में हाई स्कूल खोले जाने,तथा

(घ) ग्राम केलकक्ष में भूमि के कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवाल का निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामगरीब कोल, सदस्य, रीवा जिले के –

(क) ग्राम भनिगवां में डबडिया नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम भनिगवां से इदरहा टोला तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम कूँडी से बेलहा तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम मझियारी में विद्युतीकरण कराये जाने,तथा
(ड.) ग्राम कूँडी के लोकानाला के संसिहा घाट पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के –

(क) ग्राम प्रकाश बम्होरी से पहरा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम प्रकाश बम्होरी में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने तथा,
(ग) ग्राम प्रकाश बम्होरी में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,

(4) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके, सदस्य, बैतूल जिले के-

(क) ग्राम अनकावाड़ी से रानीपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम भामावाड़ी के हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम रातामाटी खुर्द में पाठा नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,तथा
(घ) ग्राम गवासेन एवं हरई में विद्युतीकरण कराये जाने,

(5) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-

(क) खम्हरिया सुन्दरपुर तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम परसेल, कूम्ही, हरदी हिरन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम घुघरी, हरदी, कूम्ही ग्रामों में मार्ग निर्माण कराये जाने,तथा
(घ) ग्राम पिपरिया शुक्ल की भूमि को कटाव से बचाये जाने,

(6) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के-

(क) ग्राम देवरी से पिपरिया, हुण्डी से साजवा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) परासिया के सामुदायिक स्वा. केन्द्र को सर्व सुविधा युक्त कराये जाने,
(ग) ग्राम उमरेण से कचराम, चॉदामेटा से गाजनडोह तक मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम लोना पठार से बुदलापठार तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(7) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के –

(क) शाहपुर- सेमरिया में उप तहसीलदार कोर्ट संचालित कराये जाने,
(ख) उप मंडी सेमरिया को कृषि उपज मंडी का दर्जा दिलाये जाने,
(ग) सेमरिया क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था कराये जाने,तथा
(घ) ग्राम शाहपुर की पुलिस चौकी को थाने का दर्जा दिलाये जाने,

(8) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम राडेप से मालीपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले की ताप्ती नदी का उल्लेख मध्यप्रदेश गान में किये जाने, एवं

(10) सुश्री मीना सिंह, सदस्य, उमरिया जिले के विकासखण्ड मानपुर के ग्राम रायपुर में संचालित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाऐं प्रस्तुत करेंगे.

5. संकल्प

निर्धारित समय 1 घन्टा

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002-03 के सर्वेक्षण के अनुसार 54.68 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं. इस समय कच्चे कवेलू को आवास की परिभाषा में लिया गया था. अत: कुल आवासहीन परिवार 2.08 लाख एवं कच्चे आवासधारी 35.54 लाख परिवार, इस प्रकार कुल आवासहीन परिवार 37.62 लाख थे. इसका असर मध्यप्रदेश में इंदिरा आवास योजना में अत्याधिक कम लक्ष्य रहा.

शासन द्वारा जनगणना 2011 में सुधार हेतु प्रयत्न किया गया, के अनुसार प्रदेश में 1.11 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें से 71.38 लाख परिवारों के आवास की छत घास-फूस, टाट, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, पोलेथिन एवं हाथ से बने कच्चे कवेलू से बनी हैं तथा 72.15 लाख परिवारों के आवास की दीवारें मिट्टी, कच्ची ईटों एवं लकड़ी आदि से बनी है.

जनसंख्या एवं गरीबी रेखा के आवासहीन परिवारों की संख्या के अनुसार प्रदेश को इंदिरा आवास योजना में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 में असम को 184408, बिहार को 816305, उत्तर प्रदेश को 368322, गुजरात को 136470, महाराष्ट्र को 167379 एवं मध्यप्रदेश को मात्र 84358 इंदिरा आवास का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ हैं.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली प्रदेश की जनता के जीवन को उत्तरोत्तर समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जाये, इस हेतु जनगणना 2011 के सर्वे के आधार पर केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 3.83 लाख, वनाधिकार पट्टाधारियों को लाभान्वित करने के लिए 1.60 लाख एवं इंदिरा आवास-होमस्टेड हेतु 2.00 लाख आवासों की अतिरिक्त मांग भारत सरकार से की जाए.

मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पक्के आवास मिले, इसके लिए केन्द्र सरकार से राज्य को प्रति वर्ष 3.83 लाख इंदिरा आवासों का लक्ष्य स्वीकृत किया जाये. जिससे कि प्रदेश के सभी ग्रामीण आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा सके.".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री द्वारा किये गये प्रस्ताव कि "न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर विचार किया जाय." पर **चर्चा का पुनर्ग्रहण**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

निर्धारित समय

30 मि. (4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घन्टा (5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घन्टा (6) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

1 घन्टा (7) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (8) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घण्टे मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की अनुसंशाओं के पालन प्रतिवेदनों पर चर्चा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2012